

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सीएमपी संख्या 422/2019

-----

सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य..

.....विपक्षी दल

-----

कोरम:माननीय न्यायाधीश श्री आनंद सेन।

-----

याचिकाकर्ताओं के लिए:

श्री अमित सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए:

श्री राजेश कुमार झा, सीनियर एससी-II के एसी

-----

06/05.08.2022: यह याचिका डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 955/2018 के पुनर्स्थापन के लिए दायर की गई है, जिसे 14.2.2019 को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील प्रस्तुत करते हैं कि जैसे ही रिट याचिका को पुनर्स्थापित किया जाएगा, वे त्रुटियों को दूर कर देंगे।

उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, इस याचिका को अनुमति दी जाती है।

नतीजतन, डब्ल्यूपीएस संख्या 955/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनर्स्थापित किया जाता है।

याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियां दूर कर लेनी होंगी, जैसा कि रिट याचिका में इंगित किया गया है।

(आनंदा सेन, न्याया0)

